

बिहार सरकार
कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-33/2017-103 आवंटन /कृ0, पटना दिनांक 28/11/2017 2017

Fax/Mail

प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- एम०जे०सी०नं०-3776/2013 मेसर्स चक्रधर केमिकल्स प्रा० नि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को भुगतान हेतु 1195000=00 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹11,95,000 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4427 दिनांक-15.11.2017 द्वारा एम०जे०सी०नं०-3776/2013 मेसर्स चक्रधर केमिकल्स प्रा० नि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को भुगतान हेतु 1195000=00 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹11,95,000 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹11,95,000 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष खण्ड-II -8000-आकस्मिकता निधि-मुख्यशीर्ष-6401- फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज-उप मुख्यशीर्ष-00- लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0002-बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण-विपत्र कोड-8000-01-64010019000002- विषयशीर्ष-0002.55.01-ऋण एवं अग्रिम मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि ₹11,95,000 (ग्यारह लाख पन्चानवे हजार रू०) से की जाएगी।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-3002 वि. (2) दिनांक-26.04.2017 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन



निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


/कृ०, पटना, दिनांक 28/11/2017 2017

ज्ञापांक

103 आवंटन

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 103 आवं 27

/कृ०, पटना, दिनांक 28/11/ 2017

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/ कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक - 103 आवं 27

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।
/कृ०, पटना, दिनांक 28/11/ 2017

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।